<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 16ए / 17</u> संस्थापन दिनांक:- 28.08.2017 फाईलिंग नं. 43 / 2017

- 1. किशोरी पिता रावजी, उम्र 50 वर्ष
- 2. जशमा पिता रावजी, उम्र 35 वर्ष
- 3. झुला पिता रावजी, उम्र 30 वर्ष
- 4. राई पिता रावजी, उम्र 28 वर्ष
- जया पिता रावजी, उम्र 26 वर्ष सभी निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 6. राधिका पिता मनोहर, उम्र 22 वर्ष
- 7. संगु पिता मनोहर, उम्र 20 वर्ष
- बाली पिता मनोहर, उम्र 18 वर्ष सभी निवासी दुधारा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

.....<u>वादी</u>गण

वि क्त द्व

- पूरनलाल पिता रघु, उम्र 50 वर्ष निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>-: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 27.10.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम काठी तहसील आमला स्थित भूमियां वादीगण के पिता रावजी पिता तुली को उनके पूर्वज छित्तू से प्राप्त हुई थी जो कि छित्तू के जीवनकाल में उनके स्वत्व एवं आधिपत्य रही और छित्तू की मृत्यु उपरांत मटर एवं तुली को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई तथा

तुली की मृत्यु उपरांत वादीगण के पिता रामजी एवं छित्तू के पुत्र मट्टू एवं तुली के पुत्र मल्लू की पत्नी नान्ही बाई के शामिलाती स्वत्व एवं आधिपत्य में रही। उपर्युक्त भूमियों में से कुछ भूमियां पूर्वजों के द्वारा विक्रय कर दी गयी एवं शेष बची विवादित भूमियां वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य में है। प्रतिवादी क. 01 का वादीगण के खानदान से कोई वास्ता नहीं है परंतु इसके बाद भी वादीगण की खानदानी भूमि में उसका नाम छलपूर्वक दर्ज करा लिया गया एवं प्रतिवादी क. 01 अपना नाम दर्ज होने के आधार पर वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप कर रहा है। चूंकि विवादित भूमियां वादीगण की खानदानी भूमियां है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे।

- प्रतिवादी क. 01 के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि वादीगण की खानदानी भूमि मूल पुरूष की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र काशीराम, तुली एवं मंगर्या को मिली। मंगर्या ने अपने हक हिस्से की जमीन बेची और काशीराम ने अपना एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी क. 01 पूरनलाल को विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1953 के माध्यम से विक्रय किया। यह विक्रय पत्र प्रतिवादी क. 01 की नाबालिग अवस्था में हुआ था जिसमें प्रतिवादी क. 01 का संरक्षक प्रतिवादी का भाई सोजर था। वयस्क होने के उपरांत क्रय की गयी भूमि प्रतिवादी क. 01 के नाम पर आयी और विवादित भूमियों पर प्रतिवादी क. 01 का नाम वादीगण के साथ दर्ज चला आया। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध मुलताई न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण का दावा निरस्त कर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। प्रतिवादी क. 01 का क्रय भूमि पर क्रय दिनांक से निरंतर कब्जा चला आ रहा है। असत्य आधारों पर वादी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज किया जावे।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?

5

- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
- 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

वादी द्वारा अपने आवेदन में विवादित भूमियां खानदानी भूमि होना

बताया गया है तथा उस पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य बताया गया है। प्रतिवादी क. 01 ने विवादित भूमि का कुछ अंश स्वयं के द्वारा क्य किया जाना बताया है और इस आधार पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य बताया है। वादी के द्वारा स्वयं अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि खानदानी भूमियों में से पूर्वजों ने कुछ भूमियों का विक्रय किया था। वादी की ओर से मात्र एक दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2016—17 प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण के साथ—साथ पूरनलाल का नाम भी दर्ज है।

वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि यह दर्शित हो कि विवादित भूमियां वादीगण के पूर्वजों के नाम पर थी एवं वादीगण के पिता को उत्तराधिकार में प्राप्त हुईं। वादीगण के द्वारा विवादित भूमियों के संबंध में मात्र वर्ष 2016-17 की किश्तबंदी खतौनी प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रतिवादी क. 01 पूरनलाल का नाम भी दर्ज है। वादीगण की ओर से ऐसे कोई भी स्पष्ट अभिवचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिससे कि यह पता चले कि विवादित भूमियां किस तरह से वादीगण के नाम पर आयी। प्रतिवादी कृ. 01 की ओर से अपने आवेदन में यह बताया गया है कि विवादित भूमियों के संबंध में वादीगण के द्वारा पूर्व में भी व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था परंतु इस संबंध में वादी ने कोई अभिवचन नहीं किये हैं। स्पष्टतः वादीगण के द्वारा तथ्यों का छिपाव किया गया है एवं पूरी जानकारी न्यायालय के समक्ष नहीं रखी गयी है। प्रतिवादी की ओर से विवादित भूमि पर अपना नाम रिजस्टूर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1953 के आधार पर होना बताया गया है। यद्यपि प्रतिवादी के द्वारा भी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। यह साक्ष्य का विषय है कि प्रतिवादी का नाम विवादित भूमि पर किस प्रकार आया परंतू विवादित भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज है। स्वयं प्रतिवादी ने विवादित भूमियां वादीगण की खानदानी होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से विचारण योग्य प्रश्न उठाया गया है। फलतः प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

7 वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क. 01 के नाम पर संयुक्त शामिलाती दर्ज है। वादीगण की ओर से वर्ष 2016—17 के पूर्व के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क. 01 को विवादित भूमि पर हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने की सहायता चाही गयी है परंतु अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से विवादित भूमि सहस्वामित्व की भूमि होना प्रकट हो रही है, सहस्वामित्व की भूमि पर प्रत्येक सहस्वामी का भूमि के प्रत्येक अंश पर

हित एवं अधिकार होता है। यह सुस्थापित विधि है कि एक सहस्वामी के पक्ष में और दूसरे सहस्वामी के विरूद्ध संपत्ति के आधिपत्य, उपयोग और उपभोग को रोकने के लिए व्यादेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादी क. 01 विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगा जो कि निश्चित ही वादीगण की तुलना में प्रतिवादी के लिए असुविधा होगा एवं उसे होने वाली क्षति की पूर्ति धन के रूप में भी नहीं करायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। चूंकि वादीगण के पक्ष में तीनों विचारणीय प्रश्न नहीं पाये गये हैं। फलतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिवल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

8 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल